(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग–**III**, खंड–4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 63 **नई दिल्ली**, 15 अप्रैल, 2009

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, न्यू मेंगलूर पत्तन न्यास द्वारा दीर्घ/अल्प अवधि आधार पर पट्टे पर दिए गए भूखंड के मामले में पट्टा किरायों की वैधता विस्तारित करता है।

(अरविन्द कुमार)
सदस्य

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/33/2003–एनएमपीटी

न्यू मेंगलूर पत्तन न्यास ----- आवेदक

आदेश

(मार्च, 2009 के 27 वें दिन पारित)

न्यू मेंगलूर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) द्वारा दीर्घावधि/अल्पावधि आधार पर आबंटित भूखंडों के पट्टा किराये इस प्राधिकरण द्वारा अंतिम बार 20 जनवरी, 2005 को संशोधित किए गए थे। इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पट्टा किराये 19 फरवरी, 2007 तक वैध थे।

2. दरों की वैधता समय–समय पर विस्तारित की गई थी, और अंतिम बार इसे 31 मार्च, 2009 तक अथवा इस प्राधिकरण द्वारा पारित किए जाने वाले आदेश के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तारित किया गया था।

3. दीर्घावधि/अल्पावधि आधार पर आबंटित पत्तन भूखंड के पट्टा किरायों के संशोधन के लिए एनएमपीटी द्वारा दाखिल प्रस्ताव पर परामर्श कार्यवाही अभी जारी है।

4. चूंकि मौजूदा पट्टा किरायों की वैधता 31 मार्च 2009 को समाप्त हो रही है और एनएमपीटी के प्रस्ताव का निपटान करने के लिए कुछ समय अपेक्षित होगा, इसलिए एनएमपीटी के मौजूदा पट्टा किरायों की वैधता इसकी समाप्ति की तारीख से 31 जुलाई, 2009 तक अथवा पत्तन के प्रस्ताव पर इस प्राधिकरण द्वारा पारित किए जाने वाले आदेश के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तारित की जाती है।

(अरविन्द कुमार)
सदस्य